इस बात का इत्मीनान करने के लिए कि ये सीधे डिब्बे निर्धारित गाड़ियों में ही भेजे जायें, १-४-५६ से मेल लेने वाली गाड़ियों के समय में अधिक अन्तर रखा गया है। इससे अप्रैल, १९५९ में (१८-४-५९ तक) कुछ सुधार हुआ है।

Bridges on National Highway No 31

3858. Shri Bholanath Biswas:
Shri P. G. Sen:

Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether a bridge near Lahasanpur on National Highway No. 31 is in damaged condition for the last three years;

(b) whether the bridge is standing with the help of rope and wire; and

(c) if so, what steps have been taken to get the bridge repaired or replaced before the coming rainy season

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). Presumably the Members are referring to the road bridge in mile 39 on National Highway No. 31 in Bihar. As a result of floods of 1954 and 1955, there was considerable scour near the abutments and also in the bed of the river on the downstream side, but necessary repairs were carried out to the bridge. Some of the tilted piles of the bridge have been held with guy ropes to hold them in position.

2. The Govrnmnt of India have accepted the necessity of providing a new bridge in replacement of the existing weak and damaged bridge and necessary provision has been made in the current five year plan for National Highways as now recast. The bridge work would be sanctioned on receipt of detailed estimate and plans from the State Government. In the meantime, the State Government have been requested to keep the existing bridge safe for traffic till the new bridge is constructed.

रिहांड बांध नियंत्रण बोर्ड

३८५९. **श्री सरजू पांडे:** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रिहांड बांध नियंत्रण बोर्ड की एक बैठक हाल ही में पिपरी में हुई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुये थे, और

(ग) उक्त बैठक में क्या निर्णय किये गये?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) उत्तर हां में है।

(ख) उत्तर हां में है।

(ग) रोज के प्रशासनिक मामलों के अलावा रिहंद बांध नियंत्रण बोर्ड ने २१ मार्च १९५९ की अपनी पिछली बैठक में रिहंद परियोजना के लिये पारेषण पथो (ट्रान्समिशन लाइन्स) को तैयार करने के लिये एक समन्वित कार्यक्रम (कोआर्डिनेटेड प्रोग्राम) बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया और निश्चय किया कि पारेषण पथो को तैयार करने का काम अभी केवल पिपरी-मिर्ज़ापुर-मुगलसराय त्रिकोण (ट्राइन्गल) तक ही सीमित रखा जाये।

बोर्ड ने यह भी निश्चय किया कि पिपरी-मिर्ज़ापुर-मुगलसराय त्रिकोण के बाहर के थर्मल केन्द्रों को रिहंद से मिलाने के लिये पारेषण पथो को तैयार करने के काम की आर्थिक पहलू से जांच की जाय।

यह भी निश्चय किया गया कि जिस अवधि में चीनी की मिलें चालू नहीं रहतीं उस समय वहां से प्राप्त होने वाली बिजली का सदुपयोग करने के उपायों का पता लगाने के लिये अध्ययन किये जायें।